न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः विकास गुप्ता, "उच्चतर न्यायिक सेवा" (प्रभारी)
(Judicial Officer ID No. UP06228)

जमानत आवेदन संख्या – 3342/2022
(CNR NO– UPET–01–006339–2022)

इफराक उम्र करीब 53 वर्ष पुत्र श्री इस्लाम खॉ उर्फ सलमान खॉ, निवासी मकसूदपुर, थाना जलेसर, जिला एटा।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ०प्र०राज्य

.....अभियोगी

धारा – 138(1)बी विद्युत अधिनियम
अ०सं०–168/2018
थाना–जलेसर, जिला एटा
वाद सं०–1640/2018

21.10.2022

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त इफराक पुत्र श्री इस्लाम खॉ उर्फ सलमान खॉ, निवासी मकसूदपुर, थाना जलेसर, जिला एटा की ओर से अ०सं० 168/2018 अन्तर्गत धारा 138(1)बी विद्युत अधिनियम, थाना जलेसर, जिला एटा के अभियोग में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र से समर्थित है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.02.2018 को समय करीब 11:30 बजे वादी मुकदमा श्री ऋषिराम, अवर अभियन्ता द्वारा अन्य विद्युत कर्मचारीगण के साथ मिलकर जलेसर देहात में विद्युत चैकिंग की गयी तो पाया कि पूर्व में बकाया राशि पर विच्छेदित किये गये संयोजन संख्या

0915/094487 को अभियुक्त पुनः विद्युत की एल०टी० लाइन से कंटिया डालकर विद्युत का अवैध प्रयोग करते हुए पाये गये।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमा में रंजेशन झूँठा फंसाया गया है। उसने कभी कोई विद्युत चोरी नहीं की है। उसके द्वारा अपने विद्युत संयोजन का कुल बकाया बिल का भुगतान कर दिया गया है। उसके द्वारा उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क जमा कर दिया गया है। उपरोक्त मुकदमा के सम्बन्ध में शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण की राशि जमा करने पर विद्युत विभाग द्वारा उपशमन किया जा चुका है। उसके ऊपर कोई शुल्क बकाया नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम है। उक्त एवं अन्य आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्युत विभाग के पैनल अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है, किन्तु इस तथ्य को स्वीकार किया गया है ।के अभियुक्त द्वारा बकाया विद्युत बिल, शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क जमा कर दिया गया है।

सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विद्युत विभाग से प्राप्त आख्या दिनांकित 08.10.2022 के अनुसार अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में विद्युत विभाग का बकाया विद्युत बिल, शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क जमा कर दिया गया है, जिससे सम्बन्धित रसीदें भी अभियुक्त द्वारा दखिल की गयी है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त इफराक का यह जमानत आवेदन पत्र इस प्रकरण में स्वीकार किया जाता है तथा उसके द्वारा मु० 20,000/– रुपये (बीस हजार रुपये) का स्वीय बन्धपत्र एवं समराशि के दो नवीन प्रतिभू पत्र उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

(**विकास गुप्ता**)
प्रभारी विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, एटा
21.10.2022